न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/471

1. नन्दलाल आत्मज रामकरण जी जाति ब्राह्मण ।
2. बाबूलाल उर्फ बब्लू आत्मज नन्द लाल जाति ब्राह्मण ।
3. प्रमोद आत्मज नन्दलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम किशोरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा।

———अपीलान्ट

बनाम

1. कमला बाई पत्नी स्व0 बृजमोहन जी जाति ब्राह्मण निवासी किशोरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
2. ग्राम पंचायत किशोरपुरा जरिये सचिव ग्राम पंचायत किशोरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री राघवेन्द्र पाल सिंह, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 26.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम किशोरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में प्रार्थिनी के खाते में खसरा नम्बर 269 की 1.16 हैक्टर भूमि स्थित है । प्रार्थिनी के खेत पर पहुंचने के लिए व भूमि में आने–जाने व कृषि उपकरण लाने व ले जाने के लिये रास्ता खसरा नम्बर 274 व 273 में होकर है तथा प्रार्थिनी व उसके पूर्वज उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग पिछले 75 वर्षो से करते चले आ रहे हैं जिसका प्रार्थिनी को सुधाधिकार प्राप्त है । दोनों खसरा नम्बर 274 व 273 की भूमि पूर्व में सिवायचक थी जिसे वाद में अप्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा आबादी में अपने नाम दर्ज करवा लिया । प्रार्थिनी का अपने खेत पर पहुंचने का दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है । यही रास्ता प्रार्थिनी के अपने खेत पर पहुंचने का एक मात्र प्रचलित व चालू रास्ता है । प्रार्थिनी को उक्त खसरा नम्बर 274 व 273 की भूमि में से 20 फिटर चौडा रास्ता दिये जाने व राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम किये जाने व इस सम्बन्ध में राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रास्ते का अंकन किये जाने व इसी

अनुसार नक्शा ट्रेस में भी अंकन व दुरूस्ती किये जाने हेतु तहसीलदार, दीगोद को आदेशित किया जावे ।

3. अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थिनी के खते पर पहुंचने के लिए खसरा नम्बर 274 व 273 में से 20 फिट की चौडाई की भूमि प्रार्थिनी को डीएलसी दर पर दी जाकर उसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में एवं नक्शा ट्रेस में करने हु अप्रार्थीगण को आदेश प्रदान किया जावे तथा अप्रार्थी क्रम 1 को पाबन्द किया जावे कि भविष्य में उक्त 20 फिट चौडाई की भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद पैरा नहीं करे और उस पर बने रास्ते को बन्द व अवरूद्ध नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.12.2017 से प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए खसरा नम्बर 274 रकबा 0.06 हैक्टर में से उनके द्वारा प्रस्तावित अनुसार 20 फिट चौडा रास्ता वर्तमान निर्धारित डीएलसी दर का दोगुना राशि जमा कराने पर रास्ता दिये जाने एवं राजस्व रिकॉर्ड में बतौर गै0मु0 रास्ता दर्ज करने तथा नक्शा व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करने का आदेश पारित किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर कथन किया कि खसरा नम्बर 274 व 273 पर अपीलान्ट के पूर्वजों ने लगभग पिछले 70–75 वर्ष पूर्व कच्चे घर व मकान बनाये जिनमें अपीलान्टगण निवास कर रहे है और शेष खाली भूमि का उपयोग अपने जानवरों को बांधने में करते आ रहे हैं । उक्त भूमि पूर्व में अप्रार्थी क्रम 2 की भूमि नहीं रही है । प्रार्थिनी रेस्पोडेन्ट ने उक्त प्रकरण में अपीलान्टगण को पक्षकार नहीं बनाया था जबकि वे प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपीलान्टगण के अधिकार प्रभावित हुए हैं । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपीलान्टगण को प्रस्तुत प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

6. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर अपने मकान बने हुए होने का कथन किया है और उक्त अपीलाधीन निर्णय से अपने अधिकार प्रभावित होने का भी कथन किया है । अतः न्यायहित में प्रार्थीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 20.12.2017 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि तथाकथित रास्ता खसरा नम्बर 273 व 274 की आबादी भूमि में से होकर नहीं है । कई वर्षो से मौके पर भी उपलब्ध नहीं है उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट के पिता व दादा द्वारा आज से लगभग 70–75 वर्षों से पहले ही एक मकान जिसमे दो कमरे एक आटा पीसने वाली पवन चक्की व एक देवस्थान की स्थापना की गई तथा उसी समय से शांतिपूर्वक ढंग से निवास करते चले आ रहे हैं । खसरा नम्बर 274 व 273 की भूमि कभी भी पूर्व में रेस्पोडेन्ट क्रम 2 की भूमि नहीं रही है बल्कि अपीलान्ट का 70–75 वर्षो से शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थिनी रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि वे प्रस्तुत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं क्योंकि उक्त भूमि पर अपीलान्टगण के मकान बने हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से अपीलान्ट व्यथित है और वे प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं जिसके लिए अलग से धारा 96 सपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है । अतः अपील

अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट क्रम 2 बाबूलाल अपने किसी कार्य से पटवारी हल्का के पास दिनांक 19.07.2018 को गया तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त आदेश के सम्बन्ध में बताया गया जिस पर दिनांक 20.07.2018 को नकल प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 23.07.2018 को प्राप्त कर उक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) के तहत पेश किया जिसको सरसरी तौर पर स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट क्रम 2 के खाते की भूमि खसरा नम्बर 274 में होकर 20 फिटर चौडा रास्ता कायम करने व उसे राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता कायम कर दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जबक रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के पास पहले से ही रास्ता मौजूद है । आबादी भूमि पर अपीलान्टगण का कब्जा है जिसमें से रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया है । अपीलान्टगण के पिता एवं दादा लगभग 70–75 वर्ष पहले ही एक मकान जिसमें दो कमरे एक आटा पीसने वाली पवन चक्की व एक देवस्थान की स्थापना की गई है जिस पर वे शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे हैं । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा बिना विधिक प्रकिया अपनाए रेस्पोडेन्ट क्रम 2 को वादग्रस्त आराजी आवंटित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण को पक्षकार नहीं बनाया जबकि अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है । आबादी भूमि पर रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण है । अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार है इसलिए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर यह अपील पेश की गई है । धारा 251 (ए) के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है । मौका रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है । मौका रिपोर्ट आई0एल0आर0 से नीचे के स्तर के अधिकारी की न हो, आवश्यक है । अपीलान्ट के द्वारा रेस्पोडेन्टगण को पक्षकार बनाकर सिविल न्यायालय में एक दावा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है जिसकी नकल पेश की गई है और यह प्रकरण सिविल न्यायालय में जैरकार है जिसमें अपीलान्ट के पक्ष में यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है फिर भी अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना आदेश पारित कर दिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2017 (2) पेज 1088 उद्धरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायलय में धारा 251 (ए) के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खाते में नहीं है बल्कि ग्राम पंचायत के खाते की है । ग्राम पंचायत के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर डीएलसी दर का दोगुना राशि लेकर रास्ता कायम करने में सहमति व्यक्त की है । तहसीलदार के द्वारा भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में

अनापत्ति व्यक्त की है और जवाब प्रार्थना पत्र में ही मौके की स्थिति कर्ा दर्शाया गया है । अपीलान्ट को कोई लोकसस्टण्डाई वादग्रस्त आराजी के बाबत् नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 251 (ए) के प्रावधानों की पालना करते हुए रास्ता कायम किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2017 बहाल रखा जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक रेस्पोडेन्ट क्रम 2 और 3 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया इस प्रार्थना पत्र का जवाब रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के द्वारा पेश किया गया है जो पत्रावली में संलग्न है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 274, 273 ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज है । धारा 251 (ए) के तहत इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने से पूर्व यह आवश्यक होता है कि एक मौका रिपोर्ट जो कि आई0एल0आर0 से नीचे के स्तर के अधिकारी की न हो प्राप्त की जावे और मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होने की स्थिति में ही धारा 251 (ए) के तहत रास्ता कायम किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने हस्तगत प्रकरण में कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है । इस प्रकार धारा 251 (ए) के प्रावधानों की पालना किये बिना रास्ता कायम किया है जो त्रुटिपूर्ण है ।

14. अपीलान्ट के द्वारा सिविल न्यायालय में लम्बित प्रकरण और सिविल न्यायालय के द्वारा जारी स्थगन आदेश की प्रति भी अपील में पेश की है । तद्नुसार इस प्रकरण में अपीलान्ट को भी पक्षकार बनाया जाकर जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2017 निररस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को बहैसियत रेस्पोडेन्ट पक्षकार बनाकर जवाब पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए धारा 251 (ए) के प्रावधानों के अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 04.10.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा